

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या पी-1105/21-1(एफ0डी0ए0सामान्य) लखनऊ: दिनांक मार्च, 29 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: राज्य वन विकास अभिकरण उ0प्र0, द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ: शासकीय पत्र संख्या-105/चौदह-4-2017-500(15)/2015, दिनांक 29-03-2017(छायाप्रति संलग्न) महोदय,

भारत सरकार की पत्र संख्या-एम0ई0एफ0 एन्ड सी0सी0(एन0ए0ई0बी0):35-27-1 /2016-बी-11, अथेन्टिकेशन नं0-एम0ई0एफ0 (एन0ए0ई0बी0):7/2016-17, दिनांक 30-12-2016 द्वारा राज्य वन विकास अभिकरण उ0प्र0, द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के वचनबद्ध कार्यों के लिए रु0 393.25 लाख अनुमोदित कर केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रु0 176.96 लाख तथा गत वर्ष की वचनबद्ध अवशेष धनराशि रु0 14.31 लाख अवमुक्त किया गया है। केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि रु0 176.96 लाख + रु0 14.31 लाख = रु0 191.27 लाख के उपयोगार्थ राज्यांश रु0 117.97 लाख सहित रु0 294.93 लाख की स्वीकृति शासकीय पत्र संख्या-105/चौदह-4-2017-500(15)/2015, दिनांक 29-03-2017 द्वारा प्रदान की गयी है।


2- अतः शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रु0 294.93 लाख को आपके निवर्तन पर निम्न प्रकार रखा जाता है:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रु0 हजार में)
अनुदान सं0-60	
पूँजीलेखा-	
4406-वानिकी एवं वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
01-वानिकी	
102-समाज तथा फार्म वानिकी	
16-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0प्रणाली) (कें060/रा040-कें0+रा0)	
24-वृहत निर्माण कार्य	29493
योग:-	29493

- उक्त धनराशि को राज्य वन विकास अभिकरण उ0प्र0, (SFDA,UP) के इंडियन ओवरसीज बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में चालू खाता संख्या-020702000008752 में हस्तान्तरित में किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की पत्र संख्या- एम0ई0एफ0 एन्ड सी0सी0(एन0ए0ई0बी0):35-27-1/2016-बी-11,अथेन्टिकेशन नं0-एम0ई0एफ0 (एन0ए0ई0बी0): 7/2016-17, दिनांक 30-12-2016 में दिये गये निर्देशों के अधीन अनुमोदित कार्यमदों पर ही नियमानुसार ही कराया जाये।
- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाये। वस्तुओं का क्रय स्टोर परिचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाये। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धी विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 7- कृपया उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- 8- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।
- 9- कृपया समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को भी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

 (डा० रूपक डे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1105(1)/21-1(एफ0डी0ए0सामान्य) दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या- 105/चौदह-4-2017-500(15)/2015, दिनांक 29-03-2017 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि रु० 294.93 लाख की साख सीमा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० रूपक डे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1105(11)/21-1(एफ0डी0ए0सामान्य) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र संख्या- 105/चौदह-4-2017-500(15)/2015, दिनांक 29-03-2017 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (द्वितीय) लेखा एवं हकदारी, केन्द्रीय भवन दसवां तल सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।

3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई०टी०, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

4- अभिसूचना सेल, कार्यालय- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ०प्र०, लखनऊ।

संलग्नक: यथोपरि।

(डा० रूपक डे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी- 1105(111)/21-1(एफ0डी0ए0सामान्य) दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-105/चौदह-4-2017-500(15)/2015, दिनांक 29-03-2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० रूपक डे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मो० जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: ११ मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र संख्या-पी-764/21-1(एफ०डी०ए० सामान्य) दिनांक 11.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016- दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या- एम.ई.एफ. एण्ड सी.सी.(एन.ए.ई.बी.):35-27-1/2016-बी-11, अथेन्टिकेशन नं० एम.ई.एफ.(एन.ए.ई.बी.): 7/2016-17, दिनांक 30-12-2017 द्वारा राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के वचनबद्ध कार्यों के लिए ₹0 393.25 लाख (60 प्रतिशत केन्द्रांश ₹0 235.95 लाख+40 प्रतिशत ₹0 157.30 लाख राज्यांश) के कार्यमदों को अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार द्वारा कार्य मदों हेतु अनुमोदित केन्द्रांश ₹0 235.95 लाख की 75 प्रतिशत धनराशि ₹0 176.96 लाख तथा गतवर्ष की बचनबद्ध अवशेष धनराशि ₹0 14.31 लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार कुल ₹0 176.96 लाख+₹0 14.31=191.27 लाख की केन्द्रीय सहायता प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अनुमोदित कार्यों हेतु ₹0 176.96 लाख की केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु राज्यांश ₹0 117.97 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ₹0 294.93 लाख का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना है।

2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक दिनांक 11.01.2017 के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना (सामान्य वर्ग) के अन्तर्गत ₹0 294.93 लाख (₹0 दो करोड़ चौरान्नबे लाख तिरान्नबे हजार मात्र) निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की

श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


लेखाशीर्षक	धनराशि (रु० हजार में)
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
01-वानिकी-	
102-समाज तथा फार्म वानिकी-	
16-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (सी0सी0एल0 प्रणाली) (के060/रा040-के0रा0)	
24-वृहत निर्माण कार्य	29493
योग-	29493

(रु० दो करोड़ चौरान्बे लाख तिरान्बे हजार मात्र)

- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वितीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-1/2004 दिनांक 07-01-2005 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।
- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र, भौतिक प्रगति प्रमाण-पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता


68

- प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।
- 7 व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समयसारिणी निश्चित किया जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
 - 8 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
 - 9 समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस् होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी के प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - 10 प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० समस-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।
 - 11 अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।
 - 12 स्वीकृति धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र दिनांक 11.01.2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या/2016/1-बी/746-1-दस-2016/231-2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (मो० जुनीद)
 संयुक्त सचिव।

संख्या- 105(1) /चौदह-4-2016 तदिदनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- महालेखाकार द्वितीय उ०प्र० केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
 - 7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
 - 8- नियोजन अनुभाग-3
 - 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

 (मो० जुनीद)
 संयुक्त सचिव।